

## कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या

/टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2024-25 दिनांक:अप्रैल 02, 2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

**विषय:-आबकारी वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी दुकानों की तृतीय चरण की ई-लॉटरी के संशोधित कार्यक्रम के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदय,

कृपया इस कार्यालय से निर्गत अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-7617/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-2026, प्रयागराज दिनांक 06.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आबकारी दुकानों यथा-देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भाँग की दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का ई-लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने हेतु समय-सारिणी प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त समय-सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-लॉटरी के तृतीय चरण हेतु आवेदन दिनांक 29.03.2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 04.04.2025 तक होने थे तथा ई-लॉटरी दिनांक 08.04.2025 को सम्पन्न होनी थी। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित रिट याचिका-रिट-सी संख्या-2253/2025 के कारण ई-लॉटरी का द्वितीय चरण दिनांक 17.03.2025 से दिनांक 27.03.2025 तक संपन्न हुआ है। अवगत कराना है कि ई-लॉटरी पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि राजकोष पोर्टल पर तकनीकी समस्याएँ आने के कारण बहुत से अनंतिम आवंटी बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। अतः ऐसे अनंतिम आवंटी जिनकी बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस दिनांक 02.04.2025 तक राजकोष पोर्टल पर तकनीकी कारणों से जमा नहीं हो पायी है, उनको राजस्वहित में दिनांक 03.04.2025 को सायं 05:00 बजे तक सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अपनी बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस के ड्राफ्ट को जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के दृष्टिगत ई-लॉटरी के तृतीय चरण की संशोधित समय-सारिणी निम्नवत् प्रस्तावित है:-

| क्र. सं. | तृतीय चरण                                                                                                            | दिनांक                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | तृतीय चरण की ई-लॉटरी हेतु दुकानों को मार्क करने की अन्तिम तिथि व समय                                                 | 03.04.2025 को सायं 7.00 बजे तक                                                     |
| 2        | तृतीय चरण की ई-लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रासेसिंग फीस का भुगतान आरंभ करने की तिथि व समय       | 04.04.2025 को अपराह्न 02:00 बजे से                                                 |
| 3        | तृतीय चरण की ई-लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय                                              | 07.04.2025 को सायं 5.00 बजे तक                                                     |
| 4        | ई-लॉटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण करके आवेदन पत्रों को ई-लॉटरी हेतु मार्क करके डाटा लॉक करने की अन्तिम तिथि व समय | 08.04.2025 को सायं 5:00 तक                                                         |
| 5        | तृतीय चरण की ई-लॉटरी की तिथि व समय एवं स्थल                                                                          | 09.04.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर |
| 6        | तृतीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अन्तिम तिथि व समय                                                | 16.04.2025 को सायं 5:00 बजे तक                                                     |

**नोट:-1-**यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

2- मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी विभागीय पोर्टल <https://exciseclotteryup.upsdc.gov.in> पर संपन्न करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराते हुये स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से ई-लॉटरी के तृतीय चरण की प्रक्रिया का निष्पादन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत पत्र संख्या: 30306-30381/टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2024-25 दिनांक 28.02.2025 के अनुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा. आदर्श सिंह)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या 03(76-89)/टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2024-25/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त एस.एस.पी./एस.पी. जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आई0टी0) एवं प्रभागाध्यक्ष, एन0आई0सी0 राज्य केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई.आई.बी., मुख्यालय, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रेस नोट जारी करवायें तथा विभाग के ट्विटर हैंडल पर भी मैसेज प्रेषित करवायें।
8. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. श्री संजय यादव-2, सहायक आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ई-लॉटरी पोर्टल एवं IESCMS पोर्टल पर सूचना अपलोड करायें।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

(डा. आदर्श सिंह)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।